न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1297/2017

प्रार्थी : बनाम अप्रार्थीगण :

जोराराम गौद पुत्र जगुराम, जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

1. पूनाराम पुत्र गोपाराम,
2. गंगादेवी पत्नि जोगाराम,
3. लादाराम पुत्र हमीरराम
सभी जातियान विश्नोई निवासीगण विष्णुनगर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
4. भूमिधारी जरिये, तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री बाबुलाल विश्नोई, श्री संजय दाधीच प्रार्थी की ओर से
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह, श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 30.10.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:— प्रार्थी के खातेदारी में कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 385/497 रकबा 38 बीघा 8 बिस्वा आई हुई है । अप्रार्थीगण के खातेदारी में कब्जे व काश्त की भूमि प्रार्थी के खेत के व राजकीय कटाणी मार्ग के बीच में खसरा नम्बर 2393/520, 392/500, (392/502) व 392/1 तथा खसरा नम्बर 401 आई हुई है । प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नही है । प्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 385/497 में आने जाने के लिए कटाणी मार्ग से निकटतम व शुलभतम रास्ता जो अप्रार्थी लादाराम के खेत के दक्षिणी माठ से होता हुआ अप्रार्थी गंगादेवी के खेत के पश्चिमी माठ से होकर आगे खसरा नम्बर 392/1 जो पूनाराम के खातेदारी का है, मे से होते हुए आगे सरकारी भूमि में जाकर कटाणी रास्ते तक जाया जा सकता है । इसके लिए परस्पर सहमति हेतु अप्रार्थीगण के भरसक प्रयत्न किया परन्तु अप्रार्थीगण नही माने । संलग्न नजरिये नक्शे में दर्शाये हुए रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु उपलब्ध नही है । प्रार्थी नियमानुसार भूमि की कीमत अदा करने को भी तैयार है । उक्त निकटतम रास्ता का हवाला श्रीमान द्वारा एक

उपखण्ड अधिकारी
... शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अन्य प्रकरण में मौका देखा गया उसमें भी इस आशय की टिप्पणी की गई है अर्थात स्वयं न्यायालय हाजा ने मौका देख रखा है तथा मौका रिपोर्ट भी बनाई गई है । उस रिपोर्ट के अनुसार भी निकटतम रास्ता प्रार्थी के लिए संलग्न नजरिये नक्शे में दर्शाया गया रास्ता ही हो सकता है । इसके अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नही है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 385/497 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 393/520, 392/500 (392/502) व खसरा नम्बर 392/1 मौजा विष्णुनगर में से संलग्न नजरिये नक्शे अनुसार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावें ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जिसमें अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से वकील बक्तावर सिंह जाखड़ व अप्रार्थी सं. 3 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया अप्रार्थी सं. 2 का सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है । अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने जवाब पेश किया है कि प्रार्थी ने अपने खेत में आने जाने हेतु मिथ्या रूप से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 393/520, 392/500, व 392/1 नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की मांग की है जो रास्ता निकटतम नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें । प्रार्थी के खेत खसरानम्बर 385/497 में आने जाने हेतु ग्राम विष्णुनगर से बुचकलां कटाणी रास्ता (सड़क) से अप्रार्थी सं. 2 के पति के खेत खसरा नम्बर 387 में से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 385/497 निकटतम रास्ता है । इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें । इसी प्रकार वकील अप्रार्थी सं. 3 ओमप्रकाश कच्छावाह ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने मिथ्या बनावटी तथ्यो पर असद्‌भावी प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु सबसे निकटतम व शुलभतम रास्ता डामर सड़क कटाणी रास्तो से खसरा नम्बर 387 में से उत्तरी सीमा से होकर प्रार्थी के खेत तक

उपखण्ड अधिकारी
...शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

पीढ़ियो से विद्यमान है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्चा हर्जा के खारिज फरमावें । इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 3 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने मिथ्या बनावटी तथ्यो पर असद्भाविक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता डामर सड़क/कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 387 में से उत्तरी सीमा से होकर प्रार्थी के खेत तक पीढ़ियो से विद्यमान है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज हर्जा खर्चा के फरमाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रार्थी के खसरानम्बर 385/497 में आवागमन हेतु ग्राम विष्णुनगर के खेत खसरानम्बर 392/1 में से 2.04 बीघा व खसरा नम्बर 393/520 में से 0.09 बीघा कुल क्षैत्रफल 2.13 बीघा संलग्न फर्द मौका में दर्शाये गये नजरी नक्शा में लाल स्याही से डॉट=डॉट प्रस्तावित रास्ते की ग्राम विष्णुनगर की वर्तमान डीएलसी दर 17550/— की दर से राशि रूपये 46510/— मालीयत् की दुगुनी राशि 93020/— रूपये बनती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गयी । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, जबाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम विष्णुनगर के ख.न. 385/497 में आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 385/497 में दर्शाये अनुसार ग्राम विष्णुनगर के खेत खसरानम्बर 392/1 व 393/520 में से रास्ता वर्तमान में चालू है । जो खसरा नम्बर 393/520 में जाता है । आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 391/1 में से सबसे नजदीकी रास्ता हैं जो दिया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः प्रार्थीगण के खेत ख.न. 385/497 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 392/1 व 393/520 में प्रस्तुत कश्मिनर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरानम्बर 392/1 में से 2.04 बीघा व खसरानम्बर 393/520 में से 0.09 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। जो सबसे निकटतम व शुलभतम नजदीकी रास्ता है । ग्राम विष्णुनगर की वर्तमान डीएलसी दर रूपये 17550/— प्रति बीघा की दर से राशि रूपये

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

46510/- बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगनी कीमत 93020/- रू बनती है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट,मौका फर्द व नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से 93020/- रू का चैक/डीडी प्राप्त कर अप्रार्थीगण जिनकी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गयी उन खातेदारो को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम कर रास्ता खुलवाया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner